फाइल नं0-71-3002(001)/2/2021-03

72/2025/I/986261/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 06 जून, 2025**

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन 13 मेडिकल कालेजों हेतु केन्द्रांश की धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अंतर्गत निर्माणाधीन 13 मेडिकल कालेज, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा सोनभद्र हेतु भारत सरकार से प्राप्त रू0 20.1311 करोड़ (रू0 बीस करोड़ तेरह लाख ग्यारह हजार मात्र) केन्द्रांश की धनराशि को निम्न विवरणानुसार एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित किये जाने हेतु अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य मद में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , बिजनौर	1.5485
2	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , कुशीनगर	1.5485
3	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , सुल्तानपुर	1.5485
4	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , गोण्डा	1.5485
5	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , ललितपुर	1.5485
6	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , लखीमपुर खीरी	1.5485
7	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , चन्दौली	1.5485
8	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , बुलन्दशहर	1.5485
9	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , पीलीभीत	1.5485
10	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , औरैया	1.5485
11	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , कानपुर देहात	1.5485
12	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , कौशाम्बी	1.5485
13	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सोनभद्र	1.5491

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		योग-	20.1311

2- उपर्युक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. उक्त 13 मेडिकल कालेजों के मूल स्वीकृति विषयक शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था संतुष्ट हो लेंगे कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।
4. प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
5. प्रधानाचार्य द्वारा इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।
6. प्रश्नगत धनराशि को स्वीकृत/अवमुक्त कर धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में किया जायेगा।
7. प्रश्नगत प्रकरण में केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के आंकलन/शुद्धता के सम्बन्ध में स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।
8. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
9. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,13,11,000 (रुपये बीस करोड़ तेरह लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 081 **लेखा शीर्षक** 4210037960101 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-19/दस-2025-26, दिनांक 04 जून, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या/द्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा सोनभद्र।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।